कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर।

पत्रांकः–प–7 /सीएफओ – आरपीआर–पैट्रोल पम्प– रामपुर/ दिनांकः–अगस्त 20, 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद रामपुर।

विषयः– सीनियर डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इडियन आइल कारपोरेशन द्वारा ग्राम रौरा कलॉ तहसील मिलक के गाटा संख्या 403 पर पैट्रोल पम्प स्थापना हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयन कारपोरेशन लि० बरेली को अनापत्ति दिए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांकः 1583/जे0ए0–2 दिनांकः 17–08–2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अग्शिमन सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया व उपलब्ध कराये गये मानचित्रो का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. प्रश्नगत सथल के सामने रोड की चौड़ाई मानक के अनुसार है।
2. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रुल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत हैंः–

1. 45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
2. ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद स्थापित कराये जाये।
3. नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरो की सूची स्थापित कराया जाये।
4. 05–05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धो के साथ निर्गत किया जाता है।

1. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रुल्स विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लिखित विधि के अनुरुप।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेन्शन विद्युत नही गुजारी जायेगी।
3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रो में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।
4. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।
5. डीजल भण्डारण हेतु पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थो या स्थितियों आदि पर चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेंगे।
6. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प पर विद्युत पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–1646–1982 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

क्रु0प0उ0.......................

7. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं के व्यवस्थापन किए जाने के उपरान्त डीजल भण्डारण हेतु प्रस्तावित पैट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थित में निर्गत की जा रही अनापत्ति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

28/8/15

(रेहान अली)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
रामपुर

(रेहान अली)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
रामपुर

प्रतिलिपिः–

प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।